

विधानसभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	वित्त (पेंशन) विभाग
प्रश्न संख्या अतारांकित	:	1237
उत्तर की तिथि	:	17.09.2020
विषय	:	पेंशन सुविधा
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री अनिरुद्ध सिंह (कसुम्पटी)
सम्बन्धित मंत्री	:	मुख्यमन्त्री

प्रश्न	उत्तर
केन्द्र द्वारा 5 मई, 2009 की अधिसूचना के अन्तर्गत कर्मचारियों को दिव्यांग व दिवंगत होने की अवस्था में उनके आश्रितों को पेंशन देने का सरकार विचार रखती है; यदि हाँ, तो कब तक; यदि नहीं, तो कारण?	सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

अतारांकित विधानसभा प्रश्न संख्या: 1237 जोकि श्री अनिरुद्ध सिंह (कसुम्पटी) द्वारा पूछा गया है का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
केन्द्र द्वारा 5 मई, 2009 की अधिसूचना के अन्तर्गत कर्मचारियों को दिव्यांग व दिवंगत होने की अवस्था में उनके आश्रितों को पेंशन देने का सरकार विचार रखती हैं; यदि हाँ, तो कब तक; यदि नहीं, तो कारण?	वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यद्यपि, वित्त विभाग में केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए Invalid Pension/Disability Pension, Family Pension के लाभ अस्थाई तौर पर प्रदेश के कर्मचारियों पर लागू करने की सम्भावनाओं का परीक्षण किया गया था। परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेश दिनांक 05-05-2009 व 02-07-2009 को PFRDA के Architecture के अनुरूप नहीं पाया गया। इसके इलावा इन लाभों को निर्धारित करने के लिए कोई नियम भी नहीं बने थे। इसलिए सीमित संसाधनों के मध्यनजर Invalid Pension/Disability Pension, Family Pension का लाभ एनपीएस कर्मचारियों को प्रदान नहीं किया गया है।